

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे-III/10627-639

दिनांक:- 18-09-2015

आदेश संख्या.....**101**...../2015-16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को, जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 के अनुसार ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	नाम क० लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैच संख्या	लिंक नं०	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	राजेश कुमार गुप्ता	258 / 1994	2532	30.03.1996	30.03.2014
2.	मौंगीलाल सौलंकी	544 / 1994	2986	27.02.1996	27.02.2014
3.	दयाल प्रसाद शर्मा	261 / 1994	4262	26.04.1996	26.04.2014
4.	महेन्द्र कुमार सेठी	525 / 1994	2981	22.05.1996	22.05.2014

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, एवं 4 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं तथा पूर्व में इन्हें द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है तथा ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे-III/10627-639

दिनांक:- 18-09-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1, 2 एवं 4 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक
(कार्मिक-III)